तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3485/2000/भरतपुर सुनरही बनाम शेरसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री अजीत सिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री सोहनपाल सिंह, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–1

निर्णय

दिनांक 19.03.2019

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–05–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सोनगांव के नामान्तरकररण संख्या 250 के द्वारा खातेदार झम्मन पुत्र जमाली के फौत होने पर वसीयतनामा दिनांक 7–8–1982 के आधार पर बहक शेरसिंह पुत्र रामजीलाल के नाम खोला गया, जिसे तहसीलदार, डीग ने अपने आदेश दिनांक 02–01–1996 से मृतक की पुत्रियां असरफी, किरन, सुनहरी, इमरती तथा माया को वारिस मानते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या–1 ने अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने निर्णय दिनांक 18–05–2000 से स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 250 पर तहसीलदार, डीग द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–1–1996 को निरस्त कर दिया तथा वसीयत दिनांक 7–6–1982 के आधार पर अपीलार्थी शेरसिंह के हक में नामान्तरकरण स्वीकृत करने के निर्देश प्रदान किये। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3485/2000/भरतपुर सुनरही बनाम शेरसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार झम्मन के नाम तीन गांवों में जमीन थी तथा उक्त आराजी पुश्तैनी भूमि थी, खातेदार की पांच जायन्दा पुत्रियों के रहते वसीयत करने का अधिकार खातेदार झम्मन को नहीं था। उनका कथन है कि झम्मन द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 7-6-1982 में खोहरी व गिरसे गांव में स्थित भूमियों का हवाला दिया गया लेकिन वसीयत में सोनगांव स्थित भूमि का कोई हवाला नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में वसीयत के आधार पर सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता। उनका कथन है कि विवादित आराजी बाबत् घोषणा का मूल वाद विचाराधीन है, जिसमें मृतक खातेदार झम्मन द्वारा प्रत्यर्थी संख्या-1 के पक्ष में कोई सोन गांव स्थित भूमि बाबत् कोई वसीयत निष्पादित नहीं किये जाने को आक्षेपित किया गया है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने येाग्य है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों को निरस्त किया जावे तथा तहसीलदार, डीग द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 250 दिनिांक 2-1-1996 को बहाल रखा जावे।

योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या-1 ने अपनी बहस में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3485/2000/भरतपुर सुनरही बनाम शेरसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कथन किया कि मृतक खातेदार झम्मन ने प्रत्यर्थी संख्या–1 के पक्ष में रजिस्टर वसीयत दिनांक 7–6–1982 को निष्पादित की गयी थी। उनका कथन है कि वसीयतकर्ता द्वारा तीन गांवों में धारित 17.10बीघा भूमि की वसीयत की गयी थी। रजिस्टर्ड वसीयत में ग्राम का नाम त्रुटिपूर्ण होने से कोई फर्क नहीं पडता है। उनका कथन है कि तहसीलदार ने रजिस्टर्ड वसीयत के होते हुए खातेदार झम्मन की पुत्रियों के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों तथा उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में मृतक खातेदार झम्मन ने प्रत्यर्थी संख्या–1 शेरसिंह पुत्र रामजीलाल के पक्ष में रजिस्टर वसीयत दिनांक 7–6–1982 को निष्पादित की गयी थी, जिसमें वसीयतकर्ता द्वारा तीन गांवों में धारित 17.10बीघा भूमि की वसीयत किये जाने का उल्लेख किया गया है। मूल खातेदार द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत में ग्राम का नाम त्रुटिपूर्ण होने से कोई फर्क नहीं पडता है क्योंकि वसीयतकर्ता ने तीनों गांवों में धारित रकबा 17.10बीघा भूमि का अंकन किया गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3485/2000/भरतपुर सुनरही बनाम शेरसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन की पुष्टि की जाती है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	